रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2410] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936
No. 2410] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

का. आ. 2995 (अ).––केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओड़िशा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ''पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर–राँची पाइपलाइन'' बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर–राँची पाइपलाइन परियोजना, होता कम्पलेक्स, ऐन्थापाली चौक, ऐन्थापाली, सम्बलपुर–768004 (ओड़िशा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : रेंगालि	जिला : सम्बलपुर			राज्य : ओड़िशा
गांव का नाम	प्लाट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
बारडुंगुरि	395	00	00	95
	390	00	10	40
	381	00	04	10
	383	00	02	79
	3790	00	01	22
कुसुमडिहि	106	00	01	20
	102	00	07	30
	101	00	02	74
	97	00	04	28
	115	00	17	82
गुमलोए	53	00	03	76
	51	00	00	42
	202	00	01	46
	151	00	03	00
	134	00	23	52
	203	00	02	39
	148	00	01	56
	203/1411	00	07	01
	197	00	02	05
	193	00	02	14
	127	00	11	84
	142/1314	00	05	70
	143	00	02	26
	144	00	04	95
	149	00	01	32
	150	00	01	62
	1500	00	02	88
	1501	00	04	96
	1502	00	05	89
	1503	00	06	00
	127/1564	00	02	80
	51/1569	00	02	00
	201/1573	00	03	74
	202/1574	00	05	00
	202/1519	00	02	25
	202/1518	00	02	19
	195	00	03	87
	194	00	01	18
	186	00	22	11
	189	00	00	52
	864	00	00	94
	133/1416	00	01	10
	132	00	00	30
झांकरपालि	4487	00	00	66
	4513	00	00	84
	4513/5498	00	05	04
ठुरूपालि	583	00	00	96
लांगबहाल	70/125	00	17	10

[फा. सं. आर.-25011/10/2010/ओ.डी.-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2014

S.O. 2995 (E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), "Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline" should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Santosh Kumar Mishra, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project, Hota Complex, Ainthapali Chawk, Ainthapali, Sambalpur, Odisha-768004.

SCHEDULE

Tehsil: RENGALI		**District: SAMBALPUR**		**State: ODISHA**
Name of the Village		**Area**		
	Plot No.	**Hectare**	**Are**	**Sq. mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Baradunguri	395	00	00	95
	390	00	10	40
	381	00	04	10
	383	00	02	79
	3790	00	01	22
Kusumdihi	106	00	01	20
	102	00	07	30
	101	00	02	74
	97	00	04	28
	115	00	17	82
Gumloi	53	00	03	76
	51	00	00	42
	202	00	01	46
	151	00	03	00
	134	00	23	52
	203	00	02	39
	148	00	01	56
	203/1411	00	07	01
	197	00	02	05
	193	00	02	14
	127	00	11	84
	142/1314	00	05	70
	143	00	02	26
	144	00	04	95

1	2	3	4	5
	149	00	01	32
	150	00	01	62
	1500	00	02	88
	1501	00	04	96
	1502	00	05	89
	1503	00	06	00
	127/1564	00	02	80
	51/1569	00	02	00
	201/1573	00	03	74
	202/1574	00	05	00
	202/1519	00	02	25
	202/1518	00	02	19
	195	00	03	87
	194	00	01	18
	186	00	22	11
	189	00	00	52
	864	00	00	94
	133/1416	00	01	10
	132	00	00	30
Jhankarpali	4487	00	00	66
	4513	00	00	84
	4513/5498	00	05	04
Thurupali	583	00	00	96
Langabahal	70/125	00	17	10

[F. No. R-25011/10/2010-OD-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

का. आ. 2996 (अ).––केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओड़िशा) से रायपुर (छत्तीसगड़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ''पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर–राँची पाइपलाइन'' बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घो ाणा करती है;

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री सन्तो ा कुमार मिश्रा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर–राँची पाइपलाइन परियोजना, होता कम्पलेक्स, ऐन्थापाली चौक, ऐन्थापाली, सम्बलपुर– 768004 (ओड़िशा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसीलःबरगड़	जिलाःबरगड़			राज्यःओड़िशा
गांव का नाम	प्लाट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
कलापाणि	3611	00	00	67
	2361	00	10	35
आम्वसडा	309	00	03	60
तोरा	3730	00	11	31
	3734	00	17	13
	3726	00	08	10
	3731	00	05	26
	4718	00	00	77
	5923	00	00	85
	3356	00	00	30
	5899	00	00	27
	5553	00	00	75
	5551	00	00	80
	3293	00	00	85
रून्गणिआ	1298	00	00	30
	480	00	00	44
निलेसर	1167	00	01	28
पर्थला	658	00	10	29
	654	00	00	28
	664	00	00	77
चकरकेन्द	2693	00	01	00
	2694	00	01	42
	2682	00	01	43
	3042	00	00	50
	3260	00	00	74
	3244	00	00	26
झांकरपालि	37	00	03	48
	37/1485	00	05	10
	37/1486	00	03	42
	306	00	00	44
	175	00	06	60
केन्दपालि	119	00	02	11
	152	00	05	60

[फा. सं. आर.-25011/10/2010/ओ डी-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2014

S.O. 2996(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), "Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline" should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Santosh Kumar Mishra, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project, Hota Complex, Ainthapali Chawk, Ainthapali, Sambalpur, Odisha-768004.

SCHEDULE

Tehsil: BARGARH	**District: BARGARH**			**State: ODISHA**
Name of the Village	Plot No	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
Kalapani	3611	00	00	67
	2361	00	10	35
Ambasada	309	00	03	60
Tora	3730	00	11	31
	3734	00	17	13
	3726	00	08	10
	3731	00	05	26
	4718	00	00	77
	5923	00	00	85
	3356	00	00	30
	5899	00	00	27
	5553	00	00	75
	5551	00	00	80
	3293	00	00	85
Rungunia	1298	00	00	30
	480	00	00	44
Nileshar	1167	00	01	28

Patherla	658	00	10	29
	654	00	00	28
	664	00	00	77
Chakarkend	2693	00	01	00
	2694	00	01	42
	2682	00	01	43
	3042	00	00	50
	3260	00	00	74
	3244	00	00	26
Jhankarpali	37	00	03	48
	37/1485	00	05	10
	37/1486	00	03	42
	306	00	00	44
	175	00	06	60
Kendpali	119	00	02	11
	152	00	05	60

PAWAN KUMAR, Under Secy.

[F. No. R-25011/10 /2010-OD-I]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

का. आ. 2997(अ).——केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओड़िशा) से रायपुर (छत्तीसगड़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ''पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर– राँची पाइपलाइन'' बिछाई जानी चाहिये;

ओर केन्द्रीय सरकार को ऐसि पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आव यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमी मे जो इस से उपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाऐ जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई, व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन सम्बन्ध में श्री सन्तोश कुमार मिश्रा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर–राँची पाइपलाइन परियोजना, होता कम्पलेक्स, ऐन्थापाली चौक, ऐन्थापाली, सम्बलपुर–768004 (ओड़िशा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसीलःसोहेला	जिलाःबरगड़			राज्यःओड़िशा
गंव का नाम	प्लाट नं.	प्लाट नं.		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
2	2	3	4	5
डुम्बेरपालि	346	00	00	53
	350	00	01	45
क्नगाँ	1555	00	05	97
बादिपालि	265	00	00	32
	491	00	09	00
बुडामाल	1443	00	00	60
	1379	00	00	38
	1372	00	03	00
सोहेला	197	00	00	85
डुमेरपालि	252/856	00	00	80
बिरिपालि	787	00	00	30
अरजुण्डा	1582	00	03	40
	1837	00	01	20

[फा. सं. आर.–25011/10/2010/ओ डी– I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2014

S.O. 2997(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), "Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline" should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Santosh Kumar Mishra, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project, Hota Complex, Ainthapali Chowk, Ainthapali, Sambalpur, Odisha-768004.

SCHEDULE

Tehsil: SOHELA	**District: BARGARH**			**State: ODISHA**
Name of the Village	**Plot No.**	**Area**		
		Hectare	**Are**	**Sq. mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Dumberpali	346	00	00	53
	350	00	01	45
Kangan	1555	00	05	97
Badipali	265	00	00	32
	491	00	09	00
Budamal	1443	00	00	60
	1379	00	00	38
	1372	00	03	00
Sohela	197	00	00	85
Dumerpali	252/856	00	00	80
Birhipali	787	00	00	30
Arjunda	1582	00	03	40
	1837	00	01	20

[F. No. R-25011/10 /2010-OD-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014

का. आ. 2998(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पारादीप (ओड़िशा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं राँची (झारखण्ड) तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ''पारादिप–सम्बलपुर –रायपुर–राँची पाइपलाइन'' बिछाई जानी चाहिये;

ओर केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमी मे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई, व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के

अर्जन सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप–सम्बलपुर–रायपुर–राँची पाइपलाइन परियोजना, होता कम्पलेक्स, ऐन्थापाली चौक, ऐन्थापाली, सम्बलपुर–768004 (ओड़िशा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसीलःकोलाबिरा	जिल्लाःझारसुगुडा			राज्यःओड़िशा
गांव का नाम	प्लाट नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
सेढामाल	1353	00	39	56
	1232	00	00	62
	1214	00	05	42
	1215	00	04	79
	1218	01	00	00
समासिंघा	1850	00	02	00
	1733	00	00	76
	1734	00	01	86
	1856	00	02	53
	1715	00	02	19
	1851	00	00	99
	1714	00	01	60
	1741/6449	00	00	80
	1043	00	01	40
	1040	00	01	87
	5438	00	01	18
	953	00	01	26
	314	00	02	78
	992	00	04	43
	322/6218	00	04	72
तरेकेला	1509	00	03	53
	1504	00	02	42
	827/2350	00	00	84
	1467	00	00	39
साल्हेपालि	1400	00	01	90

[फा. सं. आर.–25011/10/2010/ओ डी– I]

पवन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2014

S.O. 2998(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Paradip (Odisha) to Raipur (Chhattisgarh) & Ranchi (Jharkhand), "Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline" should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Sri Santosh Kumar Mishra, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Sambalpur - Raipur - Ranchi Pipeline Project, Hota Complex, Ainthapali Chawk, Ainthapali, Sambalpur, Odisha-768004.

SCHEDULE

Tehsil:KOLABIRA	**District:JHARSUGUDA**			**State: ODISHA**
Name of the Village	Plot No.	**Area**		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
Sodamal	1353	00	39	56
	1232	00	00	62
	1214	00	05	42
	1215	00	04	79
	1218	01	00	00
Samasingha	1850	00	02	00
	1733	00	00	76
	1734	00	01	86
	1856	00	02	53
	1715	00	02	19
	1851	00	00	99
	1714	00	01	60
	1741/6449	00	00	80
	1043	00	01	40
	1040	00	01	87
	5438	00	01	18

	953	00	01	26
	314	00	02	78
	992	00	04	43
	322/6218	00	04	72
Tarekela	1509	00	03	53
	1504	00	02	42
	827	00	00	84
	1467	00	00	39
Salhepali	1400	00	01	90

[F. No. R-25011/10 /2010-OD-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.